न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–1, मऊ।
अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–356/2020
सत्येन्द्र प्रताप सिंह बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य।

धारा–419, 420, 467, 468, 471 व 447 भादंसं. तथा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम।
थाना–सरायलखन्सी, जिला मऊ।
मुकदमा अपराध संख्या–578/2020

दिनांकः 18.08.2020 **आदेश**

1. अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–578/2020, धारा–419, 420, 467, 468, 471 व 447 भा.दं.सं. तथा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम, थाना सरायलखन्सी, जिला मऊ में प्रार्थी/अभियुक्त सत्येन्द्र प्रताप सिंह द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने के निवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा संग्राम सिंह, राजस्व निरीक्षक द्वारा संबंधित थाना सरायलखन्सी में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि ग्राम इमिलिया के अभिलेखों में खुर्द बुर्द करते हुए खतौनी में फर्जी तरीके से नाम अंकित करवा लिया गया था और वर्तमान खतौनी में भी ग्राम सभा की उक्त भूमि पर 54 व्यक्तियों द्वारा नाम पता दर्ज कराते हुए अतिक्रमण कर लिया गया है। वर्तमान खतौनी में फर्जी तरीके से नाम अंकित करवाने वालों की सूचना एवं नाम, पता अंकित कर एण्टी भू–माफिया में कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, वह निर्दोष है। उसने व अन्य सह अभियुक्त कलावती देवी ने आराजी संख्या 122 रकबा 112 कड़ी को पंजीकृत विक्रय प्रलेख दिनांकित 14.06.2002 के माध्यम से उसके पूर्व भूमिधर गनपति पुत्र अगनू से हासिल किया और आराजी उपरोक्त पर वह तथा सह खातेदार कलावती देवी जमाना दस्तावेज बैनामा से बतौर मालिक वाकई काबिज होते चले आ रहे हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित गाटा संख्या 123 से उसका कोई संबंध में नहीं है और न ही उसके किसी अंश पर उसका अध्यासन है। वादी मुकदमा ने राजस्व अभिलखों का बिना सम्यक परिशीलन किए हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका व कलावती का नाम गलत तौर पर अंकित कर दिया। वह तथा सह अभियुक्त कलावती का नाम राजस्व अभिलेखों में उक्त आराजी के संबंध में वर्ष 2002 से लगातार उपरोक्त विक्रय विलेख के आधार पर अंकित रहता चला आ रहा है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है। वह अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नही ंकरेगा तथा न्यायालय की शर्तो का पालन करेगा। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर धोखाधडी व छल कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कराया गया एवं अभिलेखों में खुर्द बुर्द कर खतौनी में नाम गलत तरीके से चढ़वा लिया गया। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

5. मैने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौ0 के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

6. प्रपत्रों के परिशीलन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर अपराध अन्तर्गत धारा–419, 420, 467, 468, 471 व 447 भा.दं.सं. तथा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम का आरोप है। प्रपत्रों के परिशीलन से यह भी विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त एवं सह खातेदार कलावती देवी द्वारा आराजी संख्या 122 में 112 कड़ी को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से उसके पूर्व भूमिधर गनपति से हासिल किया जाना बताया गया है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित आराजी संख्या 123 से अपना कोई संबंध होना नहीं बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। सह अभियुक्त की जमानत स्वीकार हो चुकी है। मामले के तथ्य तथा परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर निम्न शर्तो के अधीन प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने का आधार पर्याप्त है।

1– प्रार्थी/अभियुक्त किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसी व जब अपेक्षा की जाएगी, पूछताछ किए जाने हेतु स्वयं उपलब्ध होगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या बचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

3– प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

4– प्रार्थी/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा होने के बाद किसी आपराधिक क्रिया–कलाप में शामिल नहीं होगा, अन्यथा अभियोजन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जमानत निरस्त करा सकता है।

7. अतः थाना प्रभारी, थाना सरायलखन्सी, जनपद मऊ को निर्देशित किया जाता है कि, जैसे ही प्रार्थी/अभियुक्त को इस अपराध में गिरफ्तार किया जाए, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पचास हजार रूपये का ब्यक्तिगत बंधपत्र एवं उतनी ही धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर उसे छोड़ दिया जाए।

(बुद्धिसागर मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं.1, मऊ।